

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

पत्रांक:- 3277 / 121 . : दिनांक: पौड़ी, जून, 07, 2019

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड-I,
श्रीनगर (गढ़वाल)।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-एफ.पी./यू.के./रोड़/10931/2015)

सन्दर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून की पत्र सं०-3111/FP/UK/ROAD/10931/2015 दिनांक 17.05.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि विषयगत वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं०-08बी/यू.सी.पी./06/84/2018/एफ.सी./296, दिनांक 10.05.2019 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं० क-972/3-5-2, दिनांक 21.11.2017 के क्रम में निर्धारित दरों पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि एवं एन०पी०वी० की धनराशि का डिमाण्ड नोट आपको निम्न प्रकार से प्रेषित किया जा रहा है:-

1- क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का विवरण-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि	-	2.92X 2=5.84 है०
क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति है०	-	₹ 306531.00
क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि	-	5.84X 306531 = 17,90,141.00 या ₹ 17,90,141.00

(₹ सत्तरह लाख नब्बे हजार एक सौ इकतालीस) मात्र

2- एन०पी०वी० की धनराशि का भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:-

ईको क्लास	-	V th
हरियाली का घनत्व	-	0.3
एन०पी०वी० की दर प्रति है०	-	₹ 6,57,000.00
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	-	2.92 है०
एन०पी०वी० की धनराशि	-	2.92 X 6,57,000.00 = ₹ 19,18,440.00

(₹ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार चार सौ चालीस) मात्र

क्रमशः : 2 पर

